राष्ट्रीय सेवा योजना
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
पता- शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला- बलिया, उ. प्र., पिन कोड- 277001
मोबाइल फोन नंबर- 9452400911 ई-मेल आईडी.- nssjncu@gmail.com

पत्रांक- जे.एन.सी.यू./एन.एस.एस./135/2024-25 **दिनांक- 04/12/2024**

अति महत्त्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबंधक,

सम्बद्ध- जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया।

विषय- जनपद में संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्राचार्य/नोडल अधिकारी, शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय, बलिया के पत्रांक- 305/स.सु./2024-25 दिनांक- 3 दिसम्बर, 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/नोडल अधिकारी (स.सु.), उ. प्र. एवं उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा **जनपद के प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।** परिवहन विभाग, उ. प्र. द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में चयनित प्रत्येक शिक्षण संस्थान को रुपये 7000/-(रुपये 5000/- रोड सेफ्टी क्लब की गतिविधियों के संचालन के लिए एवं रुपये 2000/- सड़क सुरक्षा वॉल पेंटिंग/राइटिंग हेतु) की धनराशि प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। अद्यतन उच्च शिक्षा विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्षित रोड सेफ्टी क्लब के गठन से अभी बहुत दूर है।

अतः आप सभी से अनुरोध है **कि शासनादेश के अनुपालन के क्रम में अपने महाविद्यालय में रोड सेफ्टी क्लब** (जिन शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन हो चुका है, को छोड़कर) **का गठन कराते हुए एक्सेल शीट (प्रारूप संलग्न) में ई-मेल आईडी.-** smpggdcballia@gmail.com **पर तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।** प्रकरण शासन की प्राथमिकता में है, इसलिए अति शीघ्र समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन करना आवश्यक है।

संलग्नक- 1. उक्तवत।

भवदीय

04/12/2024

डॉ. (कृष्ण कुमार सिंह)

कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

Scanned with OKEN Scanner

1. निजी सचिव, कुलपति जी को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. वित्त अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड), लखनऊ।
6. सम्बन्धित पत्रावली।
7. प्राचार्य/ नोडल अधिकारी, शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय, बलिया।

(हस्ताक्षर) 04/12/2024
डॉ. (कृष्ण कुमार सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक

(मुहर: राष्ट्रीय सेवा योजना, कार्यक्रम समन्वयक, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय,प्राचार्य,शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय,बलिया।

पत्रांक – 305 /सं0सु0/2024–25 दिनांक – 03 दिसम्बर,2024

सेवा में,

समस्त प्रबंधक/प्राचार्य/प्राचार्य
अशासकीय/स्वपोषित महाविद्यालय,
बलिया।

विषयः–जनपद में संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किये जाने के संबंध में।

महादेय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,लखनऊ के पंत्राक 3251–54/ क्षे0का0ल0/2024–25 दिनांक 09.11.2024 एवं उच्च शिक्षा विभा, उ0प्र0 शासन,लखनऊ द्वारा जनपद के प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, के सन्दर्भगत अवगत कराना है कि परिवहन विभाग,उ0प्र0 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में चयनित प्रत्येक शिक्षण संस्थान को रू0 7000/–(रू0 5000/– रोड सेफ्टी क्लब की गतिविधियों के संचालन एवं रू0 2000/– सड़क सुरक्षा वाल पेटिंग/राइटिंग हेतु) की धनराशि प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। **उच्च शिक्षण विभाग वित्तीय वर्ष 2024–25 में लक्षित रोड सेफटी क्लब के गठन से अभी बहुत दूर है।**

अतः आपसे अपेक्षित है कि अपने महाविद्यालय में रोड सेफ्टी क्लब (**जिन शिक्षण संस्थनों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन हो चुका है, को छोड़कर)** का कराते हुए एक्सल शीट में ई–मेल आई0डी0 smpggdcballia@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें। **प्रकरण शासन की शीर्ष प्राथमिकता का है, आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।**

भवदीय,
Singh 3/12/2024
(अमित कुमार सिंह)
प्राचार्य/नोडल अधिकारी
शहीद मगंल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय,
बलिया।

पृ0सं0 :–306-309/सं0सु0/2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. नोडल अधिकारी (स0सु0),उ0प्र0/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,लखनऊ।
02. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,वाराणसी।
03. कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,बलिया को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उच्च शिक्षण संस्थनों में रोड सेफ्टी क्लब गठित करने का निर्देश प्रदान करें।
04. डॉ0 कृष्ण कुमार सिंह, कार्यकम समन्वयक, राष्ट्रीय सवेा योजना, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,बलिया को इस आशय के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से भी जनपद के विभिन्न महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब गठित करने का निर्देश प्रदान करें।

भवदीय
Singh 3/12/2024
(अमित कुमार सिंह)
प्राचार्य/नोडल अधिकारी
शहीद मगंल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय,
बलिया।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
सेक्टर-एम, आशियाना
लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 3251-54 /क्षे0का0ल0/2024-25 दिनांकः 09/11/2024

विषयः प्रदेश में संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा प्रदेश के प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किये जाने निर्देश प्रदान किये गए हैं। परिवहन विभाग, उ0प्र0 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में चयनित प्रत्येक शिक्षण संस्थान को रु0 7000/- (रु0 5000/- रोड सेफ्टी क्लब की गतिविधियों के संचालन एवं रु0 2000/- सड़क सुरक्षा वाल पेन्टिंग/राइटिंग हेतु) की धनराशि प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग वितीय वर्ष 2024-25 में लक्षित रोड सेफ्टी क्लब के गठन से अभी दूर हैं। लगभग 1500 रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाना अभी शेष है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि अपने जनपद में स्थित समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब **(जिन शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब गठित हो चुका है, को छोड़कर, सूची संलग्न)** का गठन कराते हुए जनपदवार संकलित सूचना केवल संलग्न **एक्सेल शीट** में ई-मेल आई0 डी0 **roadsafety695@gmail.com** पर तत्काल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने कष्ट करें।

प्रकरण शासन की शीर्ष प्राथमिकता का है, आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नकः उक्तवत ।

भवदीय

प्रो0(सुधीर कुमार)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/
नोडल अधिकारी (स0 सु0) उ0प्र0

पृ0सं0- 3251-54 /क्षे0का0ल0/2024-25 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- अपर परिवहन आयुक्त, सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 ।
3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु व्यक्तिगत रुचि लेते हुए क्षेत्रान्तर्गत जनपद स्तरीय नोडल अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें ।

प्रो0(सुधीर कुमार)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/
नोडल अधिकारी (स0 सु0) उ0प्र0

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

रोड सेफ्टी क्लब, उत्तर प्रदेश।

सड़क सुरक्षा क्लब की उत्तर प्रदेश में स्थापना एवं संचालन के लिए आईसेफ द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित कोष प्रबन्धन समिति की दिनांक 14.08.2019 को सम्पन्न बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त, जो शासनादेश दिनांक 30.08.2019 द्वारा जारी किया गया है। उक्त कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु संख्या-2 के अंतर्गत राजस्व मद सम्बन्धी तालिका-4 के मद संख्या-9 में "कालेज/स्कूल में सड़क सुरक्षा क्लब की स्थापना एवं संचालन" के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत दिनांक 11.01.2020 को इण्डियन रोड सेफ्टी कैम्पेन, SOLVE संस्था द्वारा क्लब की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लांच की गयी। महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा क्लबों का संचालन परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश व उच्च शिक्षा एन.एस.एस के सहयोग से किया जायेगा। प्रदेश में लगभग 205 कालेजों में सड़क सुरक्षा क्लब संचालित हैं। प्रत्येक क्लब में कालेज के फैकल्टी कॉर्डीनेटर अथवा प्रोग्राम ऑफिसर समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। इन क्लबों के माध्यम से सड़क सुरक्षा की तकनीकि, विधिक, चिकित्सीय, जनसंचार तथा जनजागरुकता के पहलुओं पर कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य–

- विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जनमानस को जागरुक करना।
- सड़क सुरक्षा के प्रति संस्था के चयनित छात्रों को रोड सेफ्टी क्लब में नामित करना।
- नामित रोड सेफ्टी क्लब के सदस्यों द्वारा विभिन्न स्कूली छात्रों एवं समाज को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक किया जाना।

गठन–

प्रति क्लब 25 स्वयंसेवी सदस्य होंगे–

(अ) लीडर/अध्यक्ष
(ब) डोमेन हेड/उपाध्यक्ष
(स) एक्जीक्यूटिव/सचिव

एनएसएस की भूमिका–प्रति रोड सेफ्टी चयनित 25 सदस्यों के माध्यम से विद्यार्थियों, छात्रों एवं जनमानस को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक करना।

परिवहन विभाग से समन्वय–प्रति रोड सेफ्टी चयनित 25 सदस्य एवं एनएसएस स्वयंसेवियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यकम का आयोजन परिवहन विभाग द्वारा।

लक्षित वर्ग–युवा एवं समुदाय

गतिविधियाँ–

(1) क्विज एवं निबन्ध प्रतियोगिता
(2) 02 स्कूलों एवं संस्था से सम्बन्धित अन्य फैकल्टी के छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक किया जाना।
(3) वाद–विवाद/भाषण प्रतियोगिता।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Role of Faculty Coordinator/programe officer and its members of R.S. Club Committee

(A) **Faculty Coordinator/programe officer**

1- विद्यालय में संचालित सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जाना।

2- जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के साथ समन्वय स्थापित करना।

3- क्लब से संबंधित रिपोर्ट का प्रेषण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश एवं प्रोग्राम कॉर्डिनेटर, उच्च शिक्षा, एन.एस.एस।

(B) **Leader- (President)**

1. एक टीम लीडर को स्नातक के द्वितीय/तृतीय वर्ष का छात्र होना चाहिए। जो रोड सेफ्टी क्लब का प्रमुख होगा।
2. क्लब के अन्तर्गत संचालित होने वाली समस्त सड़क सुरक्षा गतिविधियों के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।
3. प्रोग्राम ऑफिसर/संकाय समन्वयक को रिपोर्ट करना।
4. प्रोग्राम ऑफिसर/संकाय समन्वयक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सड़क सुरक्षा क्लबों की योजना तैयार करना।
5. ग्रुप के सभी सदस्यों का ध्यान रखते हुए टीम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।

(C) **Domain -II (Vice President)**

डोमेन प्रमुख के रूप में प्री फाईनल वर्ष (द्वितीय वर्ष) के छात्र द्वारा क्लब के अन्तर्गत संचालित निम्न उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा। एक रोड सेफ्टी क्लब में 4–5 से डोमेन प्रमुख होगें:–

- क्रियेटिव डोमेन
- लॉजिस्टिक्स डोमेन
- पब्लिसिटी डोमेन

समस्त डोमेन प्रमुख अपने–अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए टीम लीडर (अध्यक्ष) को रिपोर्ट करेगें।

(D) **Executive (Secretary)**

स्नातक (प्रथम वर्ष) के छात्र की भूमिका सचिव के रूप में कार्य करेगें। एक रोड सेफ्टी क्लब में 08–10 से कार्यकारी सचिव होगें।

1- समस्त कार्यकारी सचिव अपने संबंधित विभाग में डोमेन प्रमुखों की सहायता करेंगे।

2- क्लब के अन्तर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों/बैठकों आदि से संबंधित नियमित घोषणा संबंधी कार्य करेगें।

3- कार्यक्रमों से संबंधित समस्त कार्यवाही (Paper work assignment) पूर्ण करेंगे।

4- प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण लिखना।

5- अभिलेखों का अनुश्रवण।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- कार्यक्रम का संचालन करना।

8- बैठको को आहूत कराना।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

सड़क सुरक्षा क्लब के अंतर्गत मासिक गतिविधियों की रूप रेखा–

माह सितम्बर–

- रोड सेफ्टी क्लबों के गठन हेतु महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों का चयन किया जाना।

माह अक्टूबर–

- वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन
- रैली का आयोजन।
- स्वयं सेवियों के माध्यम से स्लम एरियाज (मलिन बस्ती) एवं अभिग्रहीत ग्रामों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम।
- शहरो के प्रमुख चौराहों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

माह नवम्बर–

- पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन।
- परिवहन विभाग द्वारा नामित संस्था/विशेषज्ञ के माध्यम से प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम का आयोजन (फर्स्ट रिस्पांडर ट्रेनिंग, डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं प्राथमिक चिकित्सा एवं सीपीआर)।
- चयनित 25 सदस्यों के माध्यम से शहरों व कैम्पों में सर्वे कार्यक्रम का आयोजन।

माह दिसम्बर–

- प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत चयनित स्वयं सेवी द्वारा अपने संस्था के आस–पास 01 किमी परिक्षेत्र के अंतर्गत निरीक्षण किया जाना–
  (क) यातायात चिन्हों का अध्ययन करना।
  (ख) मार्गों पर गड्ढों की रिपोर्टिंग।
  (ग) रोड मार्किंग गति अवरोधक आदि पर सर्वे करना।
- निबन्ध एवं भाषण प्रतियोगिता।
- मलिन बस्ती एवं अभिग्रहीत गाँवों में रैली एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।

माह जनवरी–

- रोड सेफ्टी सेशन एवं रोड सेफ्टी सर्वे का आयोजन।
- पोस्टर /रंगोली/क्विज प्रतियोगिता का आयोजन।
- प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम।
- व्यवहारिक कार्यान्वयन।

माह फरवरी:–

- सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियम तथा अनुपालन न किये जाने पर दिये जाने वाले दण्ड/जुर्माने आदि को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनमानस को जागरूक करना।
- जनपद के 03 उत्कृष्ठ क्लबों को सम्मानित किया जाना (पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करना।)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप

क्रमांक	जनपद का नाम	जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी का नाम एवं मो० न०	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय के एन०एस०एस० कार्यक्रम अधिकारी/रोड सेफ्टी क्लब संयोजक का नाम एवं मो० न०	महाविद्यालय के प्राचार्य का नाम एवं मो० न०	महाविद्यालय की ई-मेल आई डी	महाविद्यालय के बैंक एवं शाखा का नाम	महाविद्यालय के प्राचार्य का बैंक खाता संख्या	बैंक का आई०एफ०एस०सी० कोड

Scanned with OKEN Scanner